

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: ५७० / VII-A-1 / 2020 / 31ख / 17टीसी
देहरादून, दिनांक: ०५ मई, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमवली, 2001 के नियम 23 के उप नियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी पट्टा के लिए क्षेत्र की घोषणा:

(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई-नीलाम/ ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

स्तम्भ-2


एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी पट्टा के लिए क्षेत्र की घोषणा

(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे किसी राजस्व एवं वन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई-नीलाम/ ई-निविदा/ ई-निविदा सह ई-नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

1(क) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज के खनन/चुगान के पट्टों का आवंटन पूर्ववत् नियमावली के अध्याय-2 के नियमानुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,



(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 200/VII-A-1/2020/31ख/17टीसी
देहरादून, दिनांक: 05 मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोलडर) चुगान नीति, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

बिन्दु 10 का संशोधन उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोलडर) चुगान नीति, 2016 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

10 निजी व्यक्तियों को नदी तल स्थित नाप भूमि में चुगान की प्रक्रिया: नदी तल से संबंधित निजी नाप भूमि में चुगान के पट्टे स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार बिना विज्ञापितकरण के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त चुगान वर्ष की अवधि (01 अक्टूबर से 30 जून तक) हेतु जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तो उसे चुगान पट्टा दिया जायेगा। संबंधित चुगान लाट से निकासी हेतु अधिकतम मात्रा वही मान्य होगी, जो पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित की गयी हो अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों के द्वारा आंगणित की गयी हो। निकासी हेतु निर्धारित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि का आंकलन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। पट्टाधारक के द्वारा चुगान वर्ष हेतु निर्धारित रायल्टी धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किशतों में किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10 निजी व्यक्तियों को नदी तल स्थित नाप भूमि में चुगान की प्रक्रिया: नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोलडर) के चुगान हेतु चुगान/खनन पट्टा का आवंटन संबंधित भूस्वामी के पक्ष में उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार बिना विज्ञापितकरण के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त चुगान वर्ष की अवधि (01 अक्टूबर से 30 जून तक) हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। संबंधित चुगान लाट से निकासी हेतु अधिकतम मात्रा वही मान्य होगी, जो पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित की गयी हो अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों के द्वारा आंगणित की गयी हो। निकासी हेतु निर्धारित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि का आंकलन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। पट्टाधारक के द्वारा चुगान वर्ष हेतु निर्धारित रायल्टी धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किशतों में किया जायेगा।

d

निजी भूमि के पट्टों के संबंध में यदि भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की हैं, तो उक्त भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही आवंटित किये जायेंगे।

पट्टाधारक के द्वारा स्वीकृत चुगान क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं उक्त चुगान वर्ष में चुगान समाप्ति के समय का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

इस नीति के प्रख्यापन के पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा प्रत्येक चुगान वर्ष के प्रारम्भ एवं समाप्ति में स्वीकृत चुगान पट्टा के संबंध में निम्नवत सूचना भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :-

क. चुगान स्थल का सेटेलाइट फोटोग्राफ (Satellite Photograph)।

ख. जी०पी०एस० लोकेशन कोर्डिनेट्स।

ग. जमा आर०बी०एम० का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिया गया फोटोग्राफ।

पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा ई-रवन्ना निर्गत नहीं किया जायेगा।

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व निजी नाप भूमि में विभिन्न अवधियों हेतु स्वीकृत चुगान पट्टों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण स्वीकृत अवधि तक जिलाधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

पट्टाधारक के द्वारा स्वीकृत चुगान क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं उक्त चुगान वर्ष में चुगान समाप्ति के समय का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

इस नीति के प्रख्यापन के पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा प्रत्येक चुगान वर्ष के प्रारम्भ एवं समाप्ति में स्वीकृत चुगान पट्टा के संबंध में निम्नवत सूचना भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :-

क. चुगान स्थल का सेटेलाइट फोटोग्राफ (Satellite Photograph)।

ख. जी०पी०एस० लोकेशन कोर्डिनेट्स।

ग. जमा आर०बी०एम० का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिया गया फोटोग्राफ।

पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा ई-रवन्ना निर्गत नहीं किया जायेगा।

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व निजी नाप भूमि में विभिन्न अवधियों हेतु स्वीकृत चुगान पट्टों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण स्वीकृत अवधि तक जिलाधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

2

बिन्दु 11 का संशोधन उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 11 के उप बिन्दु (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

(ग) निजी नाप भूमि में चुगान की अवधि:- 01 वर्ष।

परन्तु पूर्व से स्वीकृत निजी नाप भूमि के पट्टे स्वीकृत अवधि तक चलते रहेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ग) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में चुगान पट्टे की अवधि:- 05 वर्ष।

परन्तु पूर्व से स्वीकृत निजी नाप भूमि के पट्टे स्वीकृत अवधि तक चलते रहेंगे।

बिन्दु 21 का संशोधन उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 21 के उप बिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

(2) चुगान पट्टा/अनुज्ञा हेतु पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)


(2) निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर के चुगान पट्टा/चुगान अनुज्ञा हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) शासन के द्वारा जारी किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) चुगान पट्टा/अनुज्ञा हेतु पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर का चुगान पट्टा/चुगान अनुज्ञा हेतु ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) जिलाधिकारी के द्वारा जारी किया जायेगा।

आज्ञा से

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव